कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 2518 /टी0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 22/11/2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

विधानसभा निर्वाचन–2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । इन्दौर जिले की 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28/11/2018 को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पादित कराई जाना है । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट को प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । मुझे प्राप्त जानकारियों के आधार पर यह संतोष हो गया है कि इन्दौर जिले में विधानसभा निर्वाचन–2018 के दौरान दिनांक 28/11/2018 को मतदान एवं दिनांक 11/12/2018 को मतगणना के दौरान मतदान/मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया जावे ।

अतः मैं **निशांत वरवड़े**, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 09 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा निर्वाचन–2018 के दौरान मतदान दिनांक 28/11/2018 तथा मतगणना दिनांक 11/12/2018 को मतदान केन्द्रों/मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन तथा वायरलेस सेट आदि के उपयोग को प्रतिबन्धित करता हूँ ।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध प्रेक्षक, मतदान एवं मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों तथा विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा ।

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

INDORE

URGENT

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ.क्र मांक/ 2519 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 22/11/2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/रा जूनी इंदौर /संयोगितागंज/बिजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना क्षेत्र, इन्दौर ।
13. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
14. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
17. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।
18. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

आ.नं. 816 24/11/18

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)